रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 1971/पौष 30, 1892

No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1971/PAUSA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January 1971

G.S.R. 116.—The following Order made by the Preident on 20th January, 1971 is published for general information:—

The State of Himachal Pradesh (Removal of Difficulties) Order No. 1.

In exercise of the powers conferred by section 53 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the State of Himachal Pradesh (Removal of Difficulties) Order No. 1.

(2) It shall come into force at once.

2. The Governor of the State of Himachal Pradesh shall, before entering upon his office on the 25th day of January, 1971, make and subscribe the oath or affirmation prescribed in article 159 in the presence of the Chief Justice of the High Court for that State, or in his absence, the seniormost Judge of that Court available, notwithstanding that such Chief Justice or Judge has not made and subscribed the oath or affirmation under article 219.

V. V. GIRI,
President

[No. 10/1/71-SR.]

M. G. PIMPUTKAR, Special Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1971

सा० का० नि० 116 :—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1971 को बनाया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं० 1

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं० 1 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल, जनवरी, 1971 के पच्चीसवें दिन को अपना पदभार संभालने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश ने अनुच्छेद 219 के अधीन शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, अनुच्छेद 159 में विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० 10/1/71-एस० आर०]
मो० ग० पिम्पुटकर, विशेष, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971